न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा

प्रकार: अपील

राजस्व प्रकरण क्रमांक: 202411050100054/0529/Apl **सन्:** 2024-2025

मामले की श्रेणी: राजस्व

विषय: अ-23-अ(भूमि के अंतरण को अपास्त किया जाना)

वाद भूमि:

रंजना सिंह पिता/पति/विभाग-शोभरन सिंह पता-निवासी- मानिकपुर एस.ई.सी.एल. कोरबा जिला-कोरबा छ.ग.

तहसील: कोरबा

-:आवेदक

ग्राम: कोरबा (58)(प.ह.न.- 00016)

विरुद्ध

खसरे: 236/1(0.6260), 236/2(0.2760), 236/3(0.3520), 296/1(0.5990), 296/2/क(0.0200), 296/2/ख(0.0200), 296/2/ग(0.0200), 296/2/घ(0.0200), 296/2/ङ(0.0240), 296/2/च(0.0160), 296/3(0.5950), 297/1(35.2520), 297/2(0.2430), 297/3(0.3880), 297/4(0.0240), 297/5/क(0.0320), 297/5/ख(0.0320), 297/5/ग(0.0160), 297/5/घ(0.0360), 297/5/ङ/1(0.0320), 297/5/च(0.0360), 297/5/छ(0.0050), 297/5/ज(0.0050), 297/5/झ(0.0060), 297/6(0.3040), 297/7(0.0330), 297/8/क(0.0180), 297/8/ख(0.0300), 297/8/ग(0.0200), 297/8/घ(0.0320), 1097/1(0.0040), 1097/2(0.0080)

शुक्रवारा बाई पिता/पति/विभाग- स्व. पंचराम पता-निवासी ग्राम - आंछीमार तहसील व जिला कोरबा छ.ग. अन्य -1

-:अनावेदक

आदेश अभिलिखित दिनांक 19/03/2026

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक-202411050100054/अ-23/2024-25 पक्षकार शुकवारा बाई वगैरह बनाम रंजना सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-44 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण अपील आवेदन में आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादीगण शुकवारा बाई पति स्व. पंचराम, फिरतुराम, फिरत राम, छोटेलाल पिता स्व. पंचराम, जाति-कोरवा, निवासी-ग्राम आंछीमार, तहसील व जिला कोरबा (छ0ग0) के पूर्वज चुलबुल कोरवा, निवासी आंछीमार, तहसील व जिला कोरबा के नाम पर ग्राम कोरबा, प.ह.नं.-16 तहसील कोरबा में ख0नं0 236 रकबा 3.10 एकड़ वर्तमान 236/2 रकबा 0.267 हे0 भूमि स्थित रही है। उसी के साथ अन्य ख0नं0-296, 297, 1097 कुल रकबा 9.50 एकड़ स्थित रहा है। चुलबुल एवं टिबलू की मृत्यु पश्चात् बुंदकुंवर पिता जोधन एवं कुजमति पिता जोधन की मृत्यु हो जाने के बाद फर्जी महिला बुंदकुंवर पति डोकरी, जाति-कंवर दोनो उत्तरवादीगण/आवेदकगण की दादी परमेश्वरी पति टिबलू बुंदकुंवर एवं कुंजमति पिता जोधनल के नाम पर निष्पादित वसीयतनामा का उपयोग कर वर्ष 1980 में ही नामांतरण करने का प्रयास किया था। वर्ष 2007 में अपीलार्थी/अनावेदिका क्रमांक 01 रंजना सिंह पिता शोभरन सिंह गोड़ जाति बताकर जाति प्रमाण पत्र के गलत तरीके से रजिस्ट्री का निष्पादन दिनांक 06.03.2007 को किया गया है। अनावेदकगण द्वारा ख0नं0 236/2 रंजना सिंह के नाम पर होने का हवाला देते हुए कुछ अधिवक्ता एवं चेतन चौधरी के द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि उत्तरवादीगण/आवेदकगण के बाउण्ड्रीवाल को तोड़ा गया है एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तरवादीगण/आवेदकगण उक्त निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश हेतु आवेदन हेतु आवेदन पत्र वास्ते अंतर्गत धारा-52 छ0ग0भू0रा0संहिता एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-170(ख) के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा में अपीलार्थी /अनावेदिका रंजना सिंह के द्वारा आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में रंजना सिंह गोड़ पिता शोभरन सिंह गोड़, जाति-गोड़ को पक्षकार बनाया जाकर उनके विरूद्ध धारा 170(ख) छ0ग0भू0रा0 संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार से कार्यवाही प्रारंभ की गई है एवं स्थगन आदेश भी जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। एवं उक्त समस्त कार्यवाही अविधिक होकर सव्यय निरस्त योग्य है। अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह ग्राम कोरबा प0ह0नं0 16 स्थित भूमि ख0नं0-236/2 में से रकबा 0.87 एकड़/0.353 हे0 भूमि को विक्रेता बुंदकुंवर बेवा डोकरी, निवासी-कोरबा से विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि का भुगतान कर पंजीकृत बैनामा के जरिए क्रय किया है। उक्त पंजीकृत बैनामा, उप पंजीयक कोरबा में दिनांक 07/03/2007 में पुस्तक क्रमांक अ-1 गं्रथ क्रमांक 2683 में पृष्ठ क्रमांक 29 से 33 पर विलेख क्रमांक 3187 देते हुए पंजीकृत किया गया है। क्रय दिनांक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ क्रय शुदा भूमि पर दखल कब्जे में निरंतर चली आ रही है। क्रय किये जाने उपरांत

अपीलार्थी/अनावेदिका के पक्ष में सक्षम नामांतरण अधिकारी कोरबा के द्वारा उक्त क्रय शुदा भूमि को राजस्व क्रमांक 79/अ-6/2006-07 में नामांतरण आदेश दिनांक 10/07/2007 पारित कर नामांतरण/प्रमाणीकरण विधिवत् किया है तथा उक्त नामांतरण आदेश के परिपालन में हल्का पटवारी ने उक्त क्रय शुदा भूमि पर के समस्त राजस्व अभिलेखों पर खरीदी हक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह का नाम दर्ज किया है तथा उक्त नामांतरण आदेश के परिपालन में हल्का पटवारी ने उक्त क्रय शुदा भूमि पर के समस्त राजस्व अभिलेखों पर खरीदी हक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह का नाम दर्ज किया है। इस तरह अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह उक्त भूमि की एकल स्वामी है। कलेक्टर कोरबा के द्वारा दिनांक 25/09/2007 को अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ को उक्त भूमि पर डायवर्सन आवासीय प्रयोजन हेतु विधिवत अनुमति प्रदान की गई है जिसके पश्चात् अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ के द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण कर रही थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.11.2024 को यह निर्णय पारित किया गया है कि अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के कारण छ0ग0भू0रा0 संहिता की धारा 170(ख) आकृष्ट होने से उक्त भूमि के अंतरण को शून्य घोषित करते हुये राजस्व अभिलेख से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह का नाम विलोपित करते हुये छ0ग0 शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील के निम्नांकित आधार बताये गये हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.1.2024 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा इस तथ्य/विधि की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि उत्तरवादीगण/आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोरबा जिला कोरबा के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गयाथा जिसका व्यवहारवाद क्रमांक 70(अ)/14 निर्णय दिनांक 05.08.2017 पारित किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में विवाद्यक बिंदु तथा पक्षकार वही थे जो अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के न्यायालय में थे जिस कारण से अनुषांगिक प्रांगन्याय के सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा को गुणदोष के आधार पर निराकरण नही करना था क्योकि सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था जिस कारण से अधीनस्थ न्यायायलय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2024 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
3. अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.11.2014 में इस आधार पर पारित किया गया है। अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा इस तथ्य/विधि को ध्यान में नहीं रखा है कि अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के द्वारा अभी निलंबित किया गया है इसमें अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह की जाति गोड़ है तथा अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह अनुसूचित जनजाति की है तथा उसका पालन-पोषण जन्म अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में हुआ है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.1.2024 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
4. अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया गया है कि विवादित भूमि पड़त भूमि है जिस कारण छ0ग0भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान विवादित भूमि पर आकृष्ट नही होते है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा इस तथ्य की ओर से भी ध्यान नही दिया गया है कि विवादित भूमि नगर पालिक निगम कोरबा के अंतर्गत स्थित भूमि है जिस पर कारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान विवादित भूमि पर आकृष्ट नही होते है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय (रा0) कोरबा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील की ग्राह्यता के संबंध में अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता को सुना गया तथा अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया। उत्तरवादी पक्ष को आहूत किया गया। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादीगण/आवेदकगण शुकवारा बाई पति स्व पंचराम, फिरतुराम, फिरत राम, छोटे लाल पिता स्व. पंचराम, जाति-कोरवा, निवासी ग्राम आंछीमार, तहसील व जिला कोरबा छ.ग के पूर्वज चुलबुल कोरवा, निवासी आंछीमार तहसील व जिला कोरबा के नाम पर ग्राम कोरबा प.ह.नं.-16, तहसील कोरबा में ख0नं0 236 रकबा 310 एकड़, वर्तमान 236/2 रकबा 0.267 हेक्टेयर भूमि स्थित रही है। उसी के साथ अन्य ख0नं0-296, 297, 1097 कुल रकबा 9.50 एकड़ भूमि स्थित रहा है। चुलबुल एवं टिबलू की मृत्यु पश्चात बुंदकुंवर पिता जोधन एवं कुजमति पिता जोधन की मृत्यु हो जाने के बाद फर्जी महिला बुंदकुंवर पति डोकरी, जाति-कंवर दोनो उत्तरवादीगण/आवेदकगण की दादी परमेश्वरी पति टिबलू द्वारा बुंदकंुवर एवं कुंजमति पिता जोधन के नाम पर निष्पादित वसीयतनामा का उपयोग कर वर्ष 1980 में ही नामांतरण करने का प्रयास किया था। वर्ष 2007 में अपीलार्थी/अनावेदिका क्रमांक 01 रंजना सिंह पिता शोभरन सिंह गोड़ जाति बताकर जाति प्रमाण पत्र के गलत तरीके से रजिस्ट्री का निष्पादन दिनाक 06.03.2007 को किया गया है। अनावेदकगण द्वारा ख0नं0. 236/2 रंजना सिंह के नाम पर होने का हवाला देते हुए कुछ अधिवक्ता एवं चेतन चौधरी के द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि पर उत्तरवादीगण/आवेदकगण के बाउण्ड्रीवाल को तोड़ा गया है एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तरवादीगण

/आवेदकगण उक्त निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश हेतु आवेदन हेतु आवेदन पत्र वास्ते अंतर्गत धारा 52 छ0ग0भू0रा0 संहिता एवं आवेदन पत्र अंतगर्त धारा 170 (ख) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह के द्वारा आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उक्त प्रकरण में रंजना सिंह गोड़ पिता शोभरन सिंह गोड़, जाति-गोड़ को पक्षकार बनाया जाकर उनके विरुद्ध धारा 170 (ख) छ0ग0भू0रा0 संहिता 1950 के प्रावधानों के अनुसार से कार्यवाही प्रारंभ की गई है एवं स्थगन आदेश भी जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह ग्राम कोरबा प0ह0नं0 16 स्थित भूमि ख0नं0-236/2 में से रकबा 0.87 एकड़/0.353 हे0 भूमि को विक्रेता बंुदकंुवर बेवा डोकरी, निवासी कोरबा से विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि व भुगतान कर पंजीकृत बैनामा के जरिए क्रय किया है। उक्त पंजीकृत बैनामा, उप पंजीयक कोरबा में दिनांक 07.03.2007 में पुस्तक क्रमांक अ-1 ग्रंथ क्रमांक 2683 में पृष्ठ क्रमांक 29 से 33 पर विलेख क्रमांक 3187 देते हुए पंजीकृत किया गया है। क्रय दिनांक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ क्रय शुदा भूमि पर चाल कब्जे में निरंतर चली आ रही है। क्रय किये जाने उपरांत अपीलार्थी/ अनावेदिका के पक्ष में सक्षम नामांतरण अधिकारी कोरबा के द्वारा उक्त क्रय शुदा भूमि को राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/16/2006-07 में नामांतरण आदेश दिनांक 10.07.2007 पारित कर नामांतरण/प्रमाणीकरण विधिवत किया है तथा उक्त नामांतरण आदेश के परिपालन में हल्का पटवारी ने उक्त क्रय शुदा भूमि पर के रामस्त राजस्व अभिलेखों पर खरीदी हक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह का नाम दर्ज किया है तथा उक्त नामांतरण आदेश के परिपालन में हल्का पटवारी ने उक्त क्रय शुदा भूमि पर के समस्त राजस्व अभिलेखों पर खरीदी हक से अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह का नाम दर्ज किया है। इस तरह अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह उक्त भूमि की एकल स्वामी है कलेक्टर कोरबा के द्वारा दिनाक 25.09.2007 को अपीलार्थी/अनावेदिका को उक्त भूमि पर बाउण्ड्री बॉल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ को उक्त भूमि पर डायवर्सन आवासीय परियोजन हेतु विधिवत् अनुमति प्रदान की गई है जिसके पश्चात अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ के द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण किया जा रहा था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.11.2024 को यह निर्णय पारित किया गया है कि अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के कारण छ.ग भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) आकृष्ट होने से उक्त भूमि के अंतरण को शून्य घोषित करते हुए राजस्व अभिलेख से अपीलार्थी/ अनावेदिका रंजना सिंह का नाम विलोपित करते छ.ग. शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा इस तथ्य विधि की और ध्यान नहीं दिया गया है कि उत्वरवादीगण/आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोरबा जिला कोरबा के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका व्यवहार वाद क्रमांक 70 (अ)/ 14 निर्णय दिनांक 05.08.2017 पारित किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में विवाद्यक बिंदु तथा पक्षकार वही थे जो अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के न्यायालय में थे जिस कारण से अनुषांगिक प्रांगन्याय के सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग) को गुणदोष के आधार पर निराकरण नहीं करना था क्योकि सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2024 विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)े के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.11.2024 में इस आधार पर पारित किया गया है कि अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) इस तथ्य/विधि को ध्यान में नहीं रखा है कि अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह गोड़ का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के द्वारा अभी निलंबित किया गया है इसमे अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी अनावेदिका रंजना सिंह की जाति गोड़ है तथा अपीलार्थी/अनावेदिका रंजना सिंह अनुसूचित जनजाति की है तथा उसका पालन-पोषण जन्म अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रुप में हुआ है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि विवादित भूमि पड़त भूमि है जिस कारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान विवादित भूमि पर आकृष्ट नहीं होते है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग) के द्वारा पारित आदेश दिनाक 29.11.2024 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि विवादित भूमि नगर पालिक निगम कोरबा के अंतर्गत स्थित भूमि है जिस कारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान विवादित भूमि पर आकृष्ट नहीं होते है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा पारित आदेश दिनाक 29.11.2024 विधिसम्मत नहीं है। सिविल कोर्ट ने उत्तरवादी/वादीगण को बुंद कंुवर का वारिसान नहीं माना है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा भी उत्तरवादी/वादीगण को बुंद कुंवर का वारिसान नहीं माना है इस कारण उत्तरवादी/वादीगण का आवेदन-पत्र अतर्गत धारा 170 (ख) छ0ग0भू0रा0संहिता प्रचलन योग्य नहीं था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा उत्तरवादी/वादीगण के उक्त आवेदन-पत्र को निरस्त किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा उत्तरवादी/वादीगण के आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 170 (ख) छ.ग.भू.रा. संहिता में चाहे गये अनुतोष से भिन्न अपनी मनमाना आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 170 (ख) छ.ग.भू.रा. संहिता में किसी भी भूमि को शासन में दर्ज किये

जाने का प्रावधान नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासन के मद में दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। वर्ष 2007 मंे अपीलार्थी रंजना सिंह का जाति प्रमाण पत्र जीवित एवं प्रभावशील था तथा उक्त विक्रय पर धारा 170(ख) छ0ग0भू0रा0संहिता लागू नहीं होता है, जो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के द्वारा उक्त प्रकरण को निरस्त नहीं किया गया, जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद प्रश्नाधीन भूमि को शासन के मद में दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। शुकवारा बाई के पति एवं फिरतु राम, फिरत राम एवं छोटे लाल के पिता पंचराम के द्वारा दिनांक 04.12.2007 को अपीलार्थी को उक्त भूमि के विक्रय किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई थी। पंचराम के जीवनकाल तक उत्तरवादीगण के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरवादीगण के द्वारा आपत्ति किया जाना प्रारंभ किया गया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील स्वीकार करने का आदेश पारित किया जावे।

उत्तरवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया कि कंडिका 01 का कथन विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है। कंडिका-02 का कथन असत्य होने से अस्वीकार है, क्योंकि धारा170(ख) भू-राजस्व संहिता के प्रकरण में सिविल वाद लागू नहीं होता है। कंडिका-03 सत्य होने से स्वीकार है, क्योंकि अपीलार्थी के जाति प्रमाण को जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा निलंबित किए जाने के कारण शून्य हो जाता है एवं अपीलार्थी का जाति प्रमाण प्रारंभ से शून्य होने के कारण अंतिम स्थिति में भी शून्य योग्य रह जाता है। अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने रजिस्ट्री के समय जाति प्रमाण पत्र के बिना रजिस्ट्री किया था एवं निम्न न्यायालय में अपनी जाति के संबंध में मिसल एवं अधिकार अभिलेख भी पेश नहीं कर पाई है। कंडिका-04 असत्य होने के कारण अस्वीकार है। वादभूमि मूल खसरा नंबर 236 प्रारंभ से ही कृषि भूमि रही है। कंडिका- 05 का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी का अपील आदेश-6, नियम-11व्य0प्र0सं0 1908 के अंतर्गत कुसंयोजन की स्थिति में आने के कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि मूल आवेदन में जितने पक्षकार निम्न न्यायालय द्वारा बनाया गया था, उन्हे अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण में संयोजित नहीं किया गया है। उत्तरवादीगण द्वारा अपीलार्थी के प्रस्तुत अपील को सारहीन, प्रभावहीन एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अपील को सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष के लिखित तर्क एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन में पाया कि ग्राम-कोरबा, प0ह0नं0-16, तहसील-कोरबा स्थित भूमि ख0नं0-236 कुल रकबा 3.10 एकड़, ख0नं0 296 रकबा 3.25 एकड़ भूमि चुलबुल वल्द बेगा कोरवा के नाम पर मिशल बंदोबस्त में दर्ज रहा है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में ख0नं0-236 रकबा 3.10 एकड़ एवं ख0नं0 -296 रकबा 2.95 एकड़, ख0नं0-1097/1 रकबा 0.03 एकड़ भूमि टिबलू पिता चुलबुल, परमेश्वरी पिता टिबलू, जोधन पिता चुलबुल वगैरह के नाम पर दर्ज रहा है। टिबलू पिता चुलबुल, परमेश्वरी पिता टिबलू, जोधन पिता चुलबुल, लक्ष्मीन पिता जोधन के फौत होने पर वारिसान हक से बुंदकुंवर पिता जोधन, कुंजमति पिता जोधन के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेखों में ख0नं0 235/4, 236/2, 296/3, 297/9, 297/10, 1097/2 रकबा क्रमशः 2.00, 1.55, 1.47, 0.96, 0.75, 0.02 एकड़ कुल रकबा 4.75 एकड़ भूमि न्यायालय तहसीलदार कोरबा के रा0प्र0क्र0 11/अ-27/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2006 के अनुसार बुंदकुंवर बेवा डोकरी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है। जिसमें से ख0नं0 236/3 रकबा 0.87 एकड़/0.352 हे0 भूमि को रंजना सिंह पिता शोभरन सिंह के द्वारा अपने को गोड़ आदिवासी महिला बताते हुये क्रय किया गया है, जबकि रंजना सिंह गोड़ आदिवासी जाति की नहीं है। उसके द्वारा अपनी जाति को बदलकर छलकपट पूर्वक आवेदित भूमि को क्रय किया गया है। बुंदकुंवर निःसंतान फौत हो गई है। उत्तरवादीगण शुकवारा बाई बेवा पंचराम वगै0 के द्वारा मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोरबा के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 70ए/2014 पेश किया गया कि जिसमें बुंदकुंवर एवं रंजना सिंह को भी पक्षकार के रूप मंे पक्षकार बनाया गया था। मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोरबा ने अपने निर्णय दिनांक 05/08/2017 को आवेदक गणांे/उत्तरवादीगणों का दावा निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगणों/उत्तरवादीगणों के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश कोरबा के समक्ष सिविल प्रकरण क्रमांक 12 ए/2017 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मान0 व्यवहार न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 28/09/2022 को वाद भूमि को आवेदगणों/उत्तरवादीगणों की पैतृक भूमि नहीं होना निर्णय दिया गया है एवं निर्णय दिनांक 28/08/2022 के वाद प्रश्न 1 संबंध में कि "क्या वाद ग्रस्त भूमि ग्राम-कोरबा में ख0नं0-236/2, 296/3, 397/10, 1097/3 रकबा 1.55, 1.47, 0.96, 0.75, 0.02 एक कुल रकबा 4.75 एकड़ भूमि आवेदकगण (वादी गण पंचराम के पैतृक भूमि है, जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से निर्णित है कि वादी गण/आवेदक के द्वारा चुलबुल का वारिसान होने का कथन किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित हो सके कि वादी गण/आवेदक गण वाद भूमि को वारिसान हक होने के नात हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है) तथा प्रकरण में आपत्तिकर्ता के रूप में दीनकी बाई की ओर से यह आपत्ति पेश किया गया कि उसका वाद भूमि में उसका एवं बिंदा लाल का भी हक है। वर्तमान में बिंदा लाल के फौत होने के कारण उनके वारिसान कोतमा बाई पति स्व. बिंदा लाल एवं तारा बाई पति स्व. बिंदा लाल को पक्षकार बनाया गया गया है। इस संबंध मंे आपत्तिकर्ता दीनकी बाई एवं कोतमा बाई, ताराबाई के पति बिंदालाल मान0 व्यवहार न्यायाधीश अपर जिला न्यायालय कोरबा में प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 के रूप में सह स्वामी होने का दावा किया गया है, जिसे मान0 न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28/09/2022 में दीनकी बाई एवं आपत्तिकर्ता गण कोतमा बाई, तारा बाई को वाद भूमि का सह स्वामी नहीं माना गया है। इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि वाद भूमि पर आपत्तिकर्तागण कोतमा बाई एवं तारा बाई को कोई हक एवं स्वत्व नहीं है। इसी प्रकार से मान0 व्यवहार न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगणों के द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का निवेदन किया गया था, जिसे मान0

व्यवहार न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट रूप से वाद प्रश्न की कंडिका 4 में "क्या वादी/प्रतिवादी नगर पालिक निगम कोरबा के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसके संबंध में निष्कर्ष में नहीं निष्कर्षित कर निर्णय पारित किया गया है।" बंुदकुंवर निःसंतान फौत हो गई है। अनावेदिका/अपीलार्थिनी रंजना सिंह के द्वारा वाद भूमि को बंुदकंुवर से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। अनावेदिका/अपीलार्थिनी रंजना सिंह गोड़ जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग समुदाय का होना कथन करते हुये वाद भूमि को क्रय किया गया है। कार्यालय जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, जिला कोरबा (छ0ग0) के कार्यवाही विवरण प्रकरण क्रमांक-01/वर्ष 2022-23 क्रमांक/जा.स./2023-24/93 कोरबा, दिनांक 06/03/2024 आदेश पारित दिनांक 06/03/2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्री फिरत राम (पहाड़ी कोरवा) पिता श्री स्व. पंचराम ग्राम आछिमार तह0 जिला कोरबा बनाम श्रीमती रंजना सिंह पिता स्व. श्री शोभरन सिंह निवासी मानिकपुर बाजार के पास कोरबा, जिला कोरबा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 में छत्तीसगढ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2023 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 सितंबर 2020 में निहित प्रावधान अनुसार रंजना सिंह को तहसीलदार कोरबा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 1788/ब-121/1991-92 जारी दिनांक 08.08.91 प्रथम दृष्टया संदेहास्पद एवं कपटपूर्वक प्राप्त कराना पाये जाने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए अंतिम जांच होने तक निलंबित करने तथा अनावेदक रंजना सिंह द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) को दिया गया है। आदेश के परिपालन में तहसीलदार कोरबा के आदेश क्र. 637/तह0 वाचक/जा.स./2024 कोरबा दिनांक 18.03.2024 के द्वारा तहसील कार्यालय कोरबा द्वारा रंजना सिंह को जारी अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 1788/ब-121/1991-92 अनुमोदन दिनांक 08.08.91 को अंतिम जांच एवं आदेश जारी होने तक निलंबित किया गया है तथा अनावेदक रंजना सिंह को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की हित लाभ के लिए उपयोग मंे लाये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। छ0ग0भू0रा0 संहिता 1959 की धारा 170(ख) के तहत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार यदि खातेदार की भूमि को छलकपट के द्वारा गैर आदिवासी व्यक्ति के द्वारा आदिवासी व्यक्ति से क्रय किया जाता है, तो मूलतः उस भूमि को आदिवासी पक्षकार को लौटा दी जायेगी। यदि आदिवासी पक्षकार फौत हो चुका है, तो उसके विधिक वारिसानों को भूमि वापस कर दी जायेगी। यदि खातेदार का कोई विधिक वारिसान न हो तो भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज किया जायेगा। इस प्रकार मान0 व्यवहार न्यायालय के निर्णय अनुसार आवेदकगण एवं आपत्तिकर्तागण चुलबुल के वैध वारिस नहीं है तथा चुलबुल के वारिसान बुंदकुंवर का निःसंतान फौत हो जाने के कारण ग्राम-कोरबा, प0ह0नं0-16, तहसील- कोरबा स्थित भूमि ख0नं0 236/3 रकबा 0.87 एकड़/0.352 हे0 को वर्तमान में अनावेदिका/अपीलार्थिनी रंजना सिंह के नाम पर दर्ज रहा है, जो छलपकट पूर्वक अंतरण होने एवं धारा 170(ख) आकृष्ट होने से भूमि के अंतरण को शून्य घोषित करते हुये राजस्व अभिलेखो से रंजना सिंह का नाम विलोपित कर छ0ग0 शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा द्वारा छ0ग0 शासन के नाम पर दर्ज किये जाने का पारित आदेश न्यायसंगत है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक-202411050100054/अ-23 /2024-25 पक्षकार शुकवारा बाई वगैरह बनाम रंजना सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 विधि सम्मत होनेे से हस्तक्षेप योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

आज दिनांक / /2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया। आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(देवेन्द्र पटेल)
अपर कलेक्टर
कोरबा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

Digitally signed by DEVENDRA PATEL
Date: 2026.03.24 11:42:12 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally signed Revenue court Final Order